झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
द्वितीय-सत्र
वर्ग-01

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, सोमवार दिनांक- 16 फाल्गुन, 1936(श0) / 09 मार्च, 2015 (ई0) को झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्र0सं0-	विभागों को भेजी सं0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
1	2	3	4	5	6
44.	अ0सू0-17	श्री प्रदीप यादव	मानव तस्करी पर रोक लगाना	गृह	01.03.15
45.	अ0सू0-16	प्रो0 जयप्रकाश वर्मा	गृहरक्षकों को स्थायी करना	गृह	01.03.15
46.	अ0सू0-14	श्री जानकी प्रसाद यादव	फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी	गृह	26.02.15
47.	अ0सू0-23	श्री दीपक बिरूवा	सरेंडर पॉलिसी का लाभ देना	गृह	04.03.15
48.	अ0सू0-22	श्री एलेन जोसेफ मॉन्टरटन	थाना का निर्माण	गृह	04.03.15
49.	अ0सू0-20	श्री अरूप चटर्जी	नन बैंकिंग कंपनियों का सी0बी0आई जाँच कराना	वित्त	01.03.15
50.	अ0सू0-15	श्री अरूप चटर्जी	चिरकुण्डा काण्ड का उच्चस्तरीय जाँच	गृह	01.03.15

राँची,
दिनांक-09, मार्च, 2015 (ई0)।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

क्र0पृ0उ0

ज्ञापांक–झा०वि०स०(प्रश्न)–03/2015–795/वि०स०,राँची,दिनांक– 08/3/15

प्रतिः–झारखण्ड विधान सभा के मा० सदस्यगण/ मा० मुख्यमंत्री/ मा० नेता प्रतिपक्ष/ अन्य मा० मंत्रिगण/ मुख्य सचिव तथा राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/15

(कमलेश कुमार दीक्षित)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञापांक–झा०वि०स०(प्रश्न)–03/2015–795/वि०स०,राँची,दिनांक– 08/3/15

प्रतिः–माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ आप्त सचिव सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/प्रभारी सचिव महोदय अपर सचिव (प्रश्न) एवं संयुक्त सचिव (वेबसाईट) को सूचनार्थ प्रेषित।

08/03/15

उप सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

08.03.15

(44)

श्री प्रदीप यादव, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–09.03.2015 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–17 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में पिछले 10 वर्षों में मानव तस्करी में 450% अधिक का इजाफा हुआ है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड राज्य में वर्ष 2004 में मात्र 02 कांड प्रतिवेदित हुए थे, वही वर्ष 2014 में 147 काड प्रतिवेदित हुए हैं।
2	क्या यह बात सही है कि वर्ष–2005 से 2014 तक गायब हुए 1177 बच्चों का सुराग अब तक नहीं मिल पाया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य के विभिन्न थानों से वर्ष 2005 से 2014 तक कुल 3829 बच्चों के लापता होने की सूचना प्राप्त हुई जिसमें 2548 बच्चों को खोज लिया गया है, शेष 1281 लापता बच्चों को खोजने हेतु विभिन्न थानों में 675 प्राथमिकियाँ दर्ज कर अनुसंधान की जा रही है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन गायब बच्चों को ढूँढ़ने एवं इस प्रकार की घटना पर रोक लगाने के लिये प्रभावी कदम उठाना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	झारखण्ड राज्य में अवैध मानव व्यपार रोकने हेतु राज्य के 8 जिलों–राँची, खूँटी, चाईबासा, गुमला, सिमडेगा, दुमका, पलामू एवं लोहरदगा में Anti Human Trafficking Unit (AHTU) कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त जनता के मध्य जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–04/2015 1270/ राँची, दिनांक–08/3/2015 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.3.15
सरकार के उप सचिव।

श्री प्रो० जयप्रकाश वर्मा, स०वि०स० के द्वारा दिनांक-09.03.2015 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०-16 का उत्तर प्रतिवेदन :-

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड प्रांत में होमगार्ड की नियुक्ति अस्थायी रूप से की गई है तथा वेतन भत्ता भी काफी कम मिल रहा है ;	गृह रक्षकों की नियुक्ति नही की जाती है बल्कि झारखण्ड प्रान्त में गृह रक्षकों/होमगार्ड का नामांकन 4 वर्षों के लिए होता है तथा 4 वर्षों के बाद उनका पुनः नामांकन किया जाता है. वर्त्तमान में कर्त्तव्य पर प्रतिनियुक्त गृह रक्षकों को 300 (तीन सौ) रूपये प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता देने का सरकार का प्रावधान है।
2	यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बिहार राज्य के समान होमगार्ड को सुविधा देते हुए स्थायी करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	झारखण्ड गृह रक्षक (स्वयं सेवक) नियमावली 2014 के अनुसार गृह रक्षक संगठन चरित्र में मूलतः स्वयं सेवी संगठन है, अतएव एक स्वयं सेवी के नामांकित गृह रक्षकों को स्थायी नहीं किया जा सकता है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक-07/वि०स०(प्र०)-02/2015 1235 / राँची, दिनांक-08/3/2015 ई०।

प्रतिलिपि-200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/15
सरकार के उप सचिव।

(46)

श्री जानकी प्रसाद यादव, रा०वि०स० के द्वारा दिनांक--09.03.2015 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–14 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग सदर थाना काण्ड संख्या–909/2014, दिनांक –10.09.2014 के आलोक में दो अभियुक्तों श्री संजय कुमार एवं श्री रंजीत कुमार की गिरफ्तारी हुई है और छः नामजद अभियुक्त अब भी फरार हैं, जिसरो लापता नेहा कुमारी के परिवार वाले सदमें में हैं ;	आंशिक स्वीकारात्मक। उक्त थाना काण्ड में प्रथम दृष्टया आठ व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, परन्तु अनुसंधान के क्रम में पाँच व्यक्तियों की ही संलिप्तता पायी गयी, जिसमें दो की गिरफ्तारी हुई है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी शीघ्र करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) प्रथम, हजारीबाग के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–08/वि०स०(4)–06/2015 1236/ राँची, दिनांक 09/3/2015 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/15
सरकार के उप सचिव।

श्री दीपक विरुवा, स०वि०स० के द्वारा दिनांक 09.03.2015 को पूछे जानेवाले अल्प सूचित प्रश्न सं० – अ०सू०–23 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि वर्ष 2014 में गढ़वा जिला में 05, खूँटी जिला में 02 एवं राँची जिला में 05 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है।	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि राँची जिला के 2 नक्सली को ही सरेंडर पॉलिसी का लाभ दिया गया है।	राँची जिलान्तर्गत वर्ष 2014 में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली रंगलाल मुण्डा को नीति के अंतर्गत पुनर्वास अनुदान एवं आवास निर्माण हेतु रु० 1,00,000/– का भुगतान स्वीकृत किया गया है, जबकि शेष 04 नक्सलियों को रु० 50–50 हजार पुनर्वास अनुदान के मद में भुगतान किया गया है। सभी 05 नक्सलियों को शेष लाभों के संबंध में भुगतान प्रक्रियाधीन है।
3	क्या यह बात सही है कि शेष 10 नक्सलियों को संबंधित जिलों के डी०सी०/एस०पी० की अनुशंसाएँ अप्राप्त होने से सरेंडर पॉलिसी के लाभ से वंचित है।	सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को आत्मसमर्पण के अवसर पर तत्काल पुनर्वास अनुदान के रुप में रु० 50,000/– का भुगतान किया जा चुका है। अन्य लाभों के संबंध में प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार आत्म समर्पण करने वाले शेष नक्सलियों को भी सरेंडर पॉलिसी का लाभ देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो?	समुचित प्रस्ताव प्राप्त होते ही प्रत्यार्पण नीति का लाभ शेष को दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
गृह विभाग।

ज्ञापांक:–18/वि०स०(02)07/2015 1298/राँची, दि०08/03/2015 ई०।

प्रतिलिपि :– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/15
सरकार के उप सचिव

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–09.03.2015 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–22 का उत्तर प्रतिवेदन :-

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिला के चान्हों थाना का कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा है।	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि चामा सी०सी०एल० के उत्तरी कर्णपूरा तथा पिपरवार क्षेत्र तथा विश्वविख्यात मैक्लुस्कीगंज जाने के रास्ते में स्थित है;	स्वीकारात्मक
3	क्या यह बात सही है कि चामा से चान्हों थाना की दूरी 15 कि०मी०, मैक्लुस्कीगंज थाना की दूरी 14 कि०मी०, बुढमू थाना की दूरी 15 कि०मी० एवं खलारी थाना की दूरी 10 कि०मी० ;	स्वीकारात्मक
4	क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान में पुलिस थाना नहीं रहने से रास्ते से गुजरने वाले लोगों को असुरक्षित रूप से यात्रा करनी पड़ती है एवं आए दिन चोरी–डकैती जैसी घटनाएँ घटती रहती है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक चान्हों थाना एवं खलारी थाना स्तर से सघन गश्ती/पेट्रोलिंग कर सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु निरंतर निगरानी रखी जाती है।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित तथा प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्राथमिकता के आधार पर चामा में पुलिस थाना का निर्माण कराना चाहती है यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राँची जिला के चान्हों थानान्तर्गत चामा में ओ०पी० सृजन का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन है। प्रमण्डलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची से इस संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गयी है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ओ०पी० सृजन की कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०(प्र०)–13/2015 1296 / राँची, दिनांक 08/03/2015 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

श्री अरूप चटर्जी, सदस्य, विधान सभा द्वारा चतुर्थ विधान सभा का चालु बजट सत्र में दिनांक 09.03.2015 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या– 20 का उत्तर

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य भर में फैले 140 (एक सौ चालीस) नन् बैंकिंग द्वारा राज्यवासियों से निवेश के नाम पर के 2000/-- करोड़ रुपया की गाढ़ी कमाई का गबन कर लिया गया है ?	आंशिक स्वीकारात्मक है । गबन की राशि प्रमाणित नहीं है ।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2014 में सरकार द्वारा इस विषय पर सी0बी0आई0 जांच कराने की मंशा व्यक्त की गयी थी, परन्तु आज दिनांक 28.02.2015 तक भी इस संबंध में कोई कारवाई नहीं हो पाया है ।	आंशिक स्वीकारात्मक । उपायुक्तों से प्राप्त सूचना के अनुसार विभिन्न जिलों में नन् बैंकिंग कम्पनियों के विरूद्ध प्राथमिकि दर्ज कर कार्रवाई की गई है । इस संबंध में जामताड़ा तथा कोडरमा जिले को छोड़कर सभी जिलों से प्रतिवेदन प्राप्त है । जामताड़ा तथा कोडरमा जिले से प्रतिवेदन कई रमार देने के बाद भी प्रतिवेदन अप्राप्त है । इन जिलों से प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात गृह विभाग, झारखण्ड, राँची को सी0बी0आई0 जाँच कराने हेतु उपलब्ध करा दिया जाएगा ।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब सी0 बी0 आई0 जाँच की मंशा रखती है यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	कंडिका 02 के उत्तर से स्थिति स्वतः स्पष्ट है ।

झारखण्ड सरकार
सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग

ज्ञापांक:सां0वि0अ0सू0प्रश्न:26 / 2014 147 / राँची, दिनांक 04/03/2015

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

04-03-2015

(बी0 के0 सिन्हा)
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

श्री अरूप चटर्जी, रा०वि०रा० के द्वारा दिनांक–09.03.2015 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं० 15 का उत्तर प्रतिवेदन :

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत चिरकुण्डा (गैश्रन) थाना काण्ड संख्या–025/15, दिनांक–17.01.2015 में 120 व्यक्तियों के विरूद्ध डी०वी०सी० के पदाधिकारियों ने बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज करा दिया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि डी०वी०सी० के अफसरों ने मुकदमा दर्ज कराने के पहले अवैध बिजली कनेक्शन का जांच तक नहीं किया है जिसके कारण लगभग आधा निर्दोष व्यक्ति भी भुक्तभोगी है ;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब उक्त काण्ड पर एक उच्चस्तरीय जांच कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	चिरकुण्डा (गैश्रन) थाना द्वारा काण्ड संख्या 025/15 का अनुसंधान चिरकुण्डा पुलिस द्वारा किया जा रहा है। काण्ड के अनुसंधानकर्ता द्वारा प्राथमिकी के सभी अभियुक्तों के अभियुक्तिकरण के संबंध में गहराई से जांच की जा रही है। अतः उक्त कांड की उच्चस्तरीय जांच कराने का औचित्य नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–08/वि०स०(04)-08/2015 1234 / राँची, दिनांक 08/3/2015 ई०।
प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।